

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं०:एस०जे०ई०बी०-सी०(१)-२/२०१३ दिनांक शिमला-२ ०२, जनवरी, २०१८

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई०बी०-सी०(१)-२/२०१० दिनांक २९ जून, २०१० द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, २०१० के नियम-४ एवं अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई०बी०-सी०(१)-२/२०१३ दिनांक ७ अप्रैल, २०१७ के नियम ७ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

नियम-४. पात्रता:

वर्तमान में ८० वर्ष से ऊपर के वृद्धों को बिना आय की सीमा के जो पेंशन प्रदान की जा रही है उसकी आयु सीमा ८० वर्ष से घटकर ७० वर्ष की गई है।

आदेश द्वारा,

आर०डी०धीमान
प्रधान सचिव (सा०न्या०एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-२ ०२, जनवरी, २०१८
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

१. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-१७१००२
२. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२
३. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-१७१००२
४. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि०प्र०, शिमला-३
५. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
६. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलों, हि० प्र०, कसुम्पटी, शिमला-९
७. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-१७१००१
८. उप सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२
९. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२
१०. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हि०प्र०, शिमला-२
११. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
१२. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-१७१००५ ।

उप सचिव (सा०न्या०एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।